सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 310 राँची, शुक्रवार, 28 फाल्गुन, 1937 (श०)

18 मार्च, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 फरवरी, 2016

1. उपायुक्त, धनबाद का पत्रांक-1608, दिनांक 30 मई, 2011

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं०-4557, दिनांक 4 अगस्त, 2011; संकल्प सं0-7943, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011; पत्रांक- 1763, दिनांक 23 फरवरी, 2013; पत्रांक-3209, दिनांक 12 अप्रैल, 2013 एवं संकल्प सं०-6003, दिनांक 4 जुलाई, 2013

संख्या-5/आरोप-1-701/2014 का०-1480--श्री सूर्यमणि आचार्य, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-773/03, गृह जिला-धनबाद), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बेरमो, बोकारो सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित है:-

''श्री सूर्यमणि आचार्य, झा०प्र०से० गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर 39 वीं बैच की बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर चयनित हुए थे। उपायुक्त, धनबाद के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री आचार्य ''कुम्हार'' जाति के हैं, श्री आचार्य का जाति प्रमाण पत्र ''लोहरा'' अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्गत किया गया है, जो गलत है। यह झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमवाली के नियम-3(1)(I) का स्पष्ट उल्लंघन है।''

2. प्रश्नगत् मामले की पृष्ठभूमि यह है कि श्री सूर्यमणि आचार्य जब अंचल अधिकारी, बेरमो, बोकारो के पद पर पदस्थापित थे तो उनके जाति के संबंध में एक परिवाद प्राप्त हुआ। परिवाद के अनुसार वे पिछड़ी जाति के सदस्य होने के बावजूद ''लोहरा'' अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित हुए हैं। उक्त आरोपों के संदर्भ में अनुवर्ती कार्रवाई के तहत् उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1608 दिनांक 30 मई, 2011 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनबाद द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०-459/94 गलत है।

3. आरोपित पदाधिकारी श्री सूर्यमणि आचार्य, झा०प्र०से० के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-4557 दिनांक 4 अगस्त, 2011 तथा अनुवर्ती संकल्प सं०-7943 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश निर्गत किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में जाँच पदाधिकारी के समक्ष श्री आचार्य के द्वारा लिखित बचाव बयान एवं पूरक बचाव बयान में अपने को अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत ''लोहरा'' जनजाति का होने के संबंध में कोई तथ्यगत् जानकारी नहीं दी गई है। श्री आचार्य ने अपना पक्ष न रखकर अन्य पदाधिकारियों पर दोषारोपन करने का प्रयत्न किया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन में श्री सूर्यमणि आचार्य स्वयं को ''लोहरा'' जाति का सदस्य प्रमाणित करने में असफल रहे।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री सूर्यमणि आचार्य के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया है। जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन में यह रेखांकित किया गया है कि श्री आचार्य के जाति की जाँच करने के क्रम में उनके

खानदानी संबद्धता के संबंध में पृच्छा करने पर उन्होंने अपने को अकेला घोषित किया तथा यह भी कहा कि उनका न तो कोई भी निकट है संबंधी न ही कोई उनके समुदाय का है। उपायुक्त, धनबाद के मंतव्य के अनुसार आरोपित पदाधिकारी के ''लोहरा'' जाति के होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ।

5. संचालन पदाधिकारी ने ''लोहरा'' जाति विशेष के कतिपय जाति गुणों के संबंध में निर्गत कार्मिक विभाग के पत्र सं०-7/जाति-01/04-355 दिनांक 19 जनवरी, 2006 का उल्लेख करते हुए कहा है कि आरोपित पदाधिकारी ने अपने को लोहरा जाति के होने का एक भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो उन जातिगत् विशिष्ट गुणों को परिलक्षित करते हुए उनके दावों को सम्पुष्ट करता हो। आरोपित पदाधिकारी जाति को प्रमाणित करने के लिए जाति के सदस्य, संबंधी, कुटुम्बजन, समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाज, प्रथाओं संबंधी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। ऐसे मामलों में भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन-42011/22/06-स्थापना (आराक्षण) दिनांक 11मार्च, 2007 के अनुसार इन आरोप के प्रमाणित होने पर संबंधित पदाधिकारी को सेवा से हटा देना या बर्खास्त कर देना चाहिए। समीक्षोपरान्त श्री आचार्य को विभागीय पत्रांक-1763 दिनांक 23 फरवरी, 2013 के माध्यम से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत किया गया। पुनः आरोपित पदाधिकारी के अनुरोध पर विभागीय पत्रांक-3209 दिनांक 12 अप्रैल, 2013 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक समय सीमा विस्तारित की गई, किन्तु निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी श्री आचार्य के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब नहीं दिया गया।

6. श्री सूर्यमणि आचार्य, झा०प्र०से०, तदेन अंचलाधिकारी, बेरमो को सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49(7) के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं०-6003, दिनांक 4 जुलाई, 2013 द्वारा संकल्प की निर्गत तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया ।

7. उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री आचार्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका (W.P.(S) No.1538/2013) दायर किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2015 को पारित आदेश का Operative Part निम्नवत् है:-

"In such circumstances, not only the proceedings are vitiated but the consequential order of punishment based upon that is unsustainable in the eye of law as well as on facts. In view of the reasons discussed herein above, the impugned order of

dismissal dated 04.07.2013 (Annexure-19) of the petitioner is accordingly quashed. Accordingly, petitioner shall be reinstated in service with consequential benefits. However, it is left open for the respondents to proceed afresh in the matter in accordance with law after giving due opportunity to the petitioner."

8.(क) माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 27 अगस्त, 2015 के अनुपालन में विभागीय संकल्प सं०-6003, दिनांक 04 जुलाई, 2013 को निरस्त करते हुए श्री आचार्य को पुनः सरकारी सेवा में सभी परिणामी लाभ (consequential benefits) के साथ शामिल किया जाता है। श्री आचार्य सरकारी सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड को निरस्त किये जाने के पश्चात् कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड में योगदान करेंगे ।

(ख) न्यायादेश के आलोक में श्री आचार्य के द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने के मामले की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-8421, दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 द्वारा सचिव-सह-अध्यक्ष, Caste Scrutiny Committee] कल्याण विभाग से अनुरोध किया गया है। Caste Scrutiny Committee से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसके आधार पर श्री आचार्य के मामले में नियमानुसार पुनः निर्णय लिया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 310—50 ।